"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30–05–2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 527] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 नवम्बर 2013—अग्रहायण 5, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा.-588/पंग्राविवि/22/2013/910.— छत्तीसगढ़ पंचायत (कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित और प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 84 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान होने के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, (कक्ष क्र. एस 0-41), महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,-

नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) में, शब्द "पंचायत तथा समाज सेवा संगठक " के स्थान पर, शब्द "वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षक एवं करारोपण अधिकारी, जिला अंकेक्षक पंचायत" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2013

क्रमांक/पंचा.-588/पंग्राविवि/22/2013/911.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र./पंचा.-588/पंग्राविवि/22/2013/910, दिनांक 26-11-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, सचिव.

Naya Raipur, the 26th November 2013

NOTIFICATION

No./P.-588/PGVV/22/2013/910. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 84 of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, proposes to make the following further amendment in the Chhattisgarh Panchayat (inspection of proceedings) Rules, 1995 and publishes the same as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam for information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of its publication in the Official Gazette.

Any objections or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours by the office of the Joint Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Government of Chhattisgarh, (Room No. S0-41), Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, District Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

In clause (a) of sub-rule (2) of Rule 3 for the words "Panchayat and Social Education Organizer" the words "Senior Internal Auditor and Taxation Officer, District Auditor Panchayat" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEBASHISH DAS, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.